

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम दौसा

रमेश बनाम गिरधारी

किरम मुकदमा डा. वॉ. नं. 58/2019 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

8 <sup>12</sup>/<sub>2021</sub> वकील उमर लक्ष्मण उर्फ/अपत्र 7 रसल 11 के का जवाब देना नहीं किया गया/ अर्थात् अपत्र का जवाब देना किया जाता है/ अपत्र का जवाब देना नहीं गइ/ वास्तव में हेतु प्राप्त वाले दिनांक 16-12-2021 को प्राप्त हो (10)

16 <sup>12</sup>/<sub>2021</sub> आज PO साहब अन्य काम में/ मीटिंग/ दौरे में/ बार द्वारा कार्यस्थित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 17-12-2021 को पेश हो। (10)

17 <sup>12</sup>/<sub>2021</sub> वकील उमर लक्ष्मण उर्फ/प्रतिवादी गण का प्रार्थना-पत्र अधोपत्र 7 नियम 11 संशोधित अध्याय 15/जा. 310 रकीकार कर वादी का वाद रकीरज कर देया गया है। अतः प्रार्थना के प्रार्थना-पत्र अधोपत्र 7 अध्याय 15 को चलाये जाने का कोई अधोचित्य नहीं है। अतः वादी का वाद रकीरज कर देये जाने के कारण प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र अधोपत्र 7 अध्याय 15 संशोधित अध्याय 15 रकीरज किया जाता है। पत्रावली के रसल प्रमा होकर नभन (स्पेकम) होकर इफ्तार दारिख हो व मूल वाद के साथ सलान रहे (10)

सहायक कलक्टर  
दौसा, जिला दौसा

